अनुदान संख्या 98 - वस्त्र मंत्रालय
GRANT No. 98 - MINISTRY OF TEXTILES

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	12357,11,00		12357,16,00	3349,12,39	-9008,03,61
पूरक	Supplementary	5,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					9005,28,00
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	25,03,00		31,53,00	30,09,43	-1,43,57
पूरक	Supplementary	6,50,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1,41,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अंतर्गत बचत/अधिक व्यय हुई/हुआ :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “3451”	Major Head “3451”				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	4500.00	3735.00	3694.85	-40.15
पु.	R.	-765.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	12586.00			
पू.	S.	1.00	1.00	..	-1.00
पु.	R.	-12586.00			
मुख्य शीर्ष "2851"	Major Head "2851"				
ग्राम और लघु उद्योग	Village and Small Industries				
मू.	O.	151314.00			
पू.	S.	2.00	155060.00	154968.59	-91.41
पु.	R.	3744.00			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	1067311.00			
पू.	S.	2.00	176392.00	176248.95	-143.05
पु.	R.	-890921.00			

(I) नौ शीर्षों के अंतर्गत ₹14088.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹12786.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों से संबंधित हैं:–

(I) Provision of ₹14088.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2022) remained wholly unutilized under nine heads; of these ₹12786.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" –

(A) Major Head "2552" -

(क) "ग्राम और लघु उद्योग – हस्तशिल्प उद्योग – राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम" – ₹1750.00 लाख;

(a) "Village and Small Industries - Handicraft Industries - National Handicraft Development Programme" - ₹1750.00 lakhs;

(ख) "रेशम उत्पादन उद्योग – रेशम उद्योग के विकास के लिए अनुदान" – ₹4049.00 लाख; और

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – पटसन पर प्रौद्योगिकी मिशन – मिनी मिशन –II" – ₹5487.00 लाख।

पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों में आंशिक निधियों/निधियों के विनियोग और शेष राशि के अभ्यर्पण के कारण उपरोक्त तीन शीर्षों के तहत प्रावधान अप्रयुक्त रहे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2852" – "उपभोक्ता उद्योग – वस्त्र – पीएम मित्र" – ₹1500.00 लाख – व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने, उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित होने और निधि प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया के कार्यान्वयन के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय–वस्त्र मंत्रालय" के तहत – ₹805.15 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दौरे किए जाने और कार्यालय से संबंधित खर्चों के लिए कम धन की आवश्यकता के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2851" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुईः–

(का) "हथकरघा उद्योग – राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (केंद्रीय क्षेत्र)" – ₹3353.17 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में प्राप्त ₹0.45 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹18700.45 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने, उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित होने और निधि प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया के कार्यान्वयन के कारण हुई।

(खा) "हस्तशिल्प उद्योग – विकास आयुक्त हस्तशिल्प" – ₹2362.92 लाख (₹12500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की

(b) "Sericulture Industries - Grants towards Development of Silk Industry" - ₹4049.00 lakhs; and

(c) "Tribal Area Sub-Plan - Technology Mission on Jute - Mini Mission - II" - ₹5487.00 lakhs.

Provision under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "2852" - "Consumer Industries - Textiles - PM MITRA" - ₹1500.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals, pending utilisation certificates and implementation of revised procedure of fund flow.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat-Ministry of Textiles" - saving of ₹805.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) was due to less tours undertaken and requirement of less funds towards office related expenses.

(III) Under Major Head "2851" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Handloom Industries - National Handloom Development Programme (Centre Sector)" - saving of ₹3353.17 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹18700.45 lakhs including token supplementary grant of ₹0.45 lakh obtained in December, 2022 and March, 2023) was due to non-receipt of viable proposals, pending utilization certificates and implementation of revised procedure of fund flow.

(B) "Handicraft Industries - Development Commissioner for Handicrafts" - saving of ₹2362.92

तुलना में) की बचत रिक्त पदों को न भरने, कम दौरे किए जाने और स्थापना से संबंधित अन्य खर्चे के लिए कम धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।

(गा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम" – ₹1584.80 लाख की बचत (₹4850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घा) "जनजातीय क्षेत्र उपयोजना – राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम" – ₹595.89 लाख की बचत (₹1350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपरोक्त दोनों शीर्षों के अंतर्गत बचत कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2852" – "उपभोक्ता उद्योग" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई:–

(का) "उद्योगों/कंपनियों को सहायता – वस्त्र के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं" – ₹792.00 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति और उपयोगिता प्रमाणपत्रों के लंबित होने कारण हुई।

(खा) "वस्त्र" –

(क) "भारतीय कपास निगम द्वारा "मूल्य समर्थन के तहत कपास की खरीद" – न्यूनतम समर्थन मूल्य अभियान के तहत कपास की खरीद न होने के कारण ₹856410.00 लाख की बचत (₹924309.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(ख) "राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान" – ₹9090.00 लाख की बचत (₹11500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

lakhs (against the sanctioned provision of ₹12500.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken and requirement of less funds towards other establishment related expenses.

(C) "Special Component Plan for Scheduled Castes - National Handicraft Development Programme" - saving of ₹1584.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4850.00 lakhs); and

(D) "Tribal Area Sub Plan - National Handicraft Development Programme" - saving of ₹595.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1350.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals.

(IV) Under Major Head "2852" - "Consumer Industries" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Assistance to Industries/Companies - Production linked Incentives (PLI) Schemes for Textiles" - saving of ₹792.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals and pending utilization certificates.

(B) "Textiles" -

(a) "Procurement of cotton by cotton Corporation of India under Price Support" - saving of ₹856410.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹924309.00 lakhs) was due to non-procurement of cotton under Minimum Support Price operation.

(b) "National Institute of Fashion Technology" - saving of ₹9090.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11500.00 lakhs); and

(ग) “वस्त्र अवसंरचना और मेगा क्लस्टर” – ₹10627.05 लाख की बचत (₹20383.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने, उपयोगिता प्रमाण पत्र के लंबित होने और निधि प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया के कार्यान्वयन के कारण हुई।

(घ) “अनुसंधान और विकास और संस्थागत विकास” – ₹10787.07 लाख की बचत (₹17500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों और लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(गा) “अन्य – जूट” – ₹5761.46 लाख की बचत (दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹12700.20 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति, उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित होने और निधि प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया के कार्यान्वयन के कारण हुई।

(घा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – अनुसंधान और विकास और संस्थागत विकास” – ₹1997.85 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ङा) “जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – अनुसंधान और विकास और संस्थागत विकास” – ₹808.01 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपरोक्त दोनों शीर्षों के अंतर्गत बचत कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1155.91 लाख की बचत हुई, जिनमे से प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक लेकिन ₹500.00 लाख से अधिक नहीं थी और स्वीकृत प्रावधान का 33 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक था।

(c) “Textile Infrastructure and Mega Clusters” - saving of ₹10627.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20383.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of viable proposals, pending utilization certificates and implementation of revised procedure of fund flow.

(d) “Research and Development and Institutional Development” - saving of ₹10787.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17500.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals and pending utilization certificates.

(C) “Others - Jute” - saving of ₹5761.46 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹12700.20 lakhs including token supplementary grant of ₹0.20 lakh obtained in December, 2022) was due to less receipt of viable proposals, pending utilization certificates and implementation of revised procedure of fund flow.

(D) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Research and Development and Institutional Development” - saving of ₹1997.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs); and

(E) “Tribal Area Sub-Plan - Research and Development and Institutional Development” - saving of ₹808.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals.

(V) Under three heads savings of ₹1155.91 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 33 percent to 75 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपरोक्त बचत का आंशिक (₹15204.00 लाख) रूप से उपयोग पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधानों को बढ़ाने के लिए किया गया था, जिसकी सूचना संसद को पहले ही, दिसंबर, 2022 और मार्च, 2023 में निम्नलिखित मदों के तहत ₹5.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय दे दी गई थी :—

(का) मुख्य शीर्ष "2851" —

(क) "रेशम उद्योग — केंद्रीय रेशम बोर्ड" — ₹4049.00 लाख। हालाँकि, वास्तविक अधिक व्यय ₹4048.35 लाख था।

(ख) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना — राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (केंद्र क्षेत्र)" — ₹1290.00 लाख। हालाँकि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1289.74 लाख था।

(ग) "जनजातीय क्षेत्र उप—योजना — राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (केंद्र क्षेत्र)" — ₹3100.00 लाख। हालाँकि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3083.36 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2852" — "उपभोक्ता उद्योग — वस्त्र" —

(क) "वस्त्र आयुक्त" — ₹582.00 लाख। हालाँकि, वास्तविक अधिक व्यय ₹553.00 लाख था।

(ख) "वस्त्र समिति को सहायता" — ₹3479.00 लाख। हालाँकि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3478.60 लाख था।

(ग) "उत्तर पूर्व में वस्त्रों का विकास" — ₹253.00 लाख। हालाँकि, वास्तविक अधिक व्यय ₹252.82 लाख था।

(घ) "संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना" — ₹2451.00 लाख। हालाँकि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹2449.23 लाख था।

2.(I) The above savings were partly (₹15204.00 lakhs) utilised for augmenting the provisions by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹5.00 lakhs in December, 2022 and March, 2023 under the following heads:-

(A) Major Head "2851" -

(a) "Sericulture Industries - Central Silk Board" - ₹4049.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹4048.35 lakhs.

(b) "Special Component Plan for Scheduled Castes - National Handloom Development Programme (Center Sector)" - ₹1290.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1289.74 lakhs.

(c) "Tribal Area Sub-Plan - National Handloom Development Programme (Center Sector)" - ₹3100.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3083.36 lakhs.

(B) Major Head "2852" - "Consumer Industries - Textiles" -

(a) "Textile Commissioner" - ₹582.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹553.00 lakhs.

(b) "Assistance to Textile Committee" - ₹3479.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3478.60 lakhs.

(c) "Development of Textiles in North East" - ₹253.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹252.82 lakhs.

(d) "Amended Technology Upgradation Fund Scheme" - ₹2451.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2449.23 lakhs.

(II) मुख्य शीर्ष “2851” के अंतर्गत बचत की भरपाई भी अधिक व्यय से की गईः–

(क) “हथकरघा उद्योग – हथकरघा विकास” – ₹1196.10 लाख का अधिक व्यय (₹8000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधीनस्थ कार्यालयों, बुनकर सेवा केंद्र और भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थापना व्यय के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ख) “जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – रेशम उद्योग के विकास के लिए अनुदान” – ₹3487.00 लाख का अधिक व्यय (₹5236.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) “उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग” के लिए मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों के लिए निधियों के पुनर्विनियोजन के कारण था।

3. अनुदान के पूंजीगत खंड में, कुल बचत (₹143.57 लाख) दिसंबर, 2022 में प्राप्त ₹650.00 लाख के पूरक अनुदान का 22 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थी।

बचत निम्नानुसार हुईः–

(I) तीन शीर्षों के तहत ₹3.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह अप्रयुक्त रहा।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “2851” - under the following heads :-

(A) “Handloom Industries - Handloom Development” - excess of ₹1196.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards establishment expenses of subordinate offices, Weavers Service Centre & Indian Institute of Handloom Technology.

(B) “Tribal Area Sub-Plan - Grants towards Development of Silk Industry” - excess of ₹3487.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5236.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹143.57 lakhs) constituted 22 percent of the supplementary grants of ₹650.00 lakhs obtained in December, 2022 and 5 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred as under:-

(I) Provision of ₹3.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads.